न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 40/2010

सोहनसिंह पुत्र मकतूलसिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी आका वाली ग्राम संजय नगर तन पपुराना तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं। दौराने अपील मृतक
1 कृष्ण सिंह आयु 63 साल
2 समर्थसिंह आयु 61 साल
3 दीपसिंह आयु 55 साल
4 शीशराम सिंह आयु 50 साल
5 सुरेश सिंह आयु 45 साल
6 विजय सिंह आयु 43 साल पिसरान स्व. सोहनसिंह
7 मु. मीना आयु 40 साल पुत्री स्व. सोहन सिंह
जाति राजपूत निवासी ढाणी आका वाली ग्राम संजयनगर तन पपुराना तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट

बनाम

1 विजय सिंह आयु 33 साल पुत्र जयसिंह तथाकथित दत्तक पुत्र शिशुपाल सिंह जाति राजपूत निवासी हसासपुर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2 श्रीमती सूरजकंवर आयु 63 साल पुत्री शिशुपाल सिंह स्त्री जयसिंह जाति राजपूत निवासी हसासपुर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 04.06.2010 बमुकदमा
उनवानी विजय सिंह वगै. बनाम सोहन सिंह वगै.
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 137/2008
बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलेक्टर खेतड़ी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री शिवनारायण सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शीशराम सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 3·1·25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 137/2008 में पारित निर्णय दिनांक 04.06.2010 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खाता संख्या 465 के खसरा नम्बर 75, 76, 82, 91, 92, 104, 112, 135, 162, 163, 196, 197, 203, 215, 311, 400, 401, 402, 411, 412, 413, 452, 460, 1188, 4138/399 व खाता संख्या 20 के खसरा नम्बर 84, 85, 110, 125, 138, 414, 335, 337, 340, 443, 464, 465, 466, 488, 489, 572, 576, 578, 579, 1240 वाके ग्राम संजय नगर खेतड़ी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से अपीलान्ट को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि कथित खाता नम्बर 465 व 20 की जमीन में अपीलान्ट के पिता उक्त मकतूल सिंह का 1/4 हिस्सा होना स्वीकृत तथ्य है तथा उक्त मकतूल सिंह के चार पुत्र रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 के पिता शिशुपाल सिंह, सरजीत सिंह, स्यालू सिंह व अपीलान्ट तथा दो पुत्रियां मु. बदामा बाई व मु. अस्माना बाई होना स्वीकृत तथ्य है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि उक्त मकतूल सिंह का पुत्र स्यालू सिंह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

अविवाहित सन् 2003 में फोत हो गया तथा उक्त सरजीत सिंह की मृत्यु सन 2007 में हो गई। रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 के पिता उक्त शिशुपाल सिंह का देहान्त उक्त स्यालू सिंह व सरजीत सिंह से पहले ही हो चुका था। इसलिये कानून से उक्त स्यालू सिंह की मृत्यु के समय उसके वारिसान उसका भाई अपीलान्ट तथा प्रतिवादीगण नम्बर 3, 4 के पिता सरजीत सिंह जीवित थे। इसलिये हिन्दु उतराधिकार अधिनियम सन 1956 के प्रावधानों के अनुसार उक्त स्यालू सिंह का इस जमीन जेर बहस में 1/24 हिस्से की जमीन अपीलान्ट व प्रतिवादीगण नम्बर 3, 4 के पिता उक्त सरजीत सिंह को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई। इस प्रकार इस जमीन जैर बहस में पहले उक्त शिशुपाल सिंह का 1/24 हिस्सा तथा उक्त स्यालू सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद अपीलान्ट का 1/16 तथा प्रतिवादीगण नम्बर 3, 4 के पिता सरजीत सिंह का 1/16 तथा उक्त मकतूल सिंह की दोनों पुत्रियों श्रीमती बदामा बाई व अस्माना बाई प्रत्येक का 1/24 हिस्सा इस जमीन में रहा। उक्त शिशुपाल सिंह का 1/24 हिस्सा उसकी दोनों पुत्रियों रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व प्रतिवादी नम्बर 2 मनोज कंवर उर्फ मंगेज कंवर को प्राप्त हुआ। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 अपने आपको उक्त शिशुपाल सिंह का गोद का पुत्र होना बतलाकर आया है जिसके बारे में प्रतिवादी नम्बर 2 द्वारा सिविल न्यायालय में विवाद किया हुआ है जो अभी लंबित है। इस प्रकार वर्तमान स्थिति में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का इस विवादित जमीन जैर बहस में कोई हक–हिस्सा नहीं है। विचारण न्यायालय ने प्रकरण की उक्त परिस्थितियों पर बिना कोई गौर किये रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का हिस्सा मानते हुये तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 का गलत हिस्सा मानते हुये अपना आदेश जैर बहस विधि विरूद्ध दिया है जो निरस्त होने योग्य है। भूमि खसरा नम्बर 141 तादादी 0.32 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 466 तादादी 0.30 हैक्टेयर व अन्य जमीनें जमाबन्दी संवत 2063–66 में अपीलान्ट, रेस्पोडेन्टस व प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 25 की को–टीनेन्सी की भूमि होना प्रमाणित है। कानून की यह सुस्थापित व्यवस्था है कि शामलाती को–टिनेन्सी की भूमि में हर को–टीनेन्ट का हर एक ईंच पर कब्जा होना तथा एक को–टीनेन्ट का कब्जा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

हर को–टिनेन्ट का कब्जा होना माना जाता है। विचारण न्यायालय ने कानून के उक्त प्रतिपादित सिद्धान्त का उल्लंघन करते हुये स्पेसिफिक खसरा नम्बर 141 तथा खसरा नम्बर 466 पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा होना गलत रूप से मानते हुये इनका प्रथम दृष्टया केस गलत माना। अपूरणीय क्षति के बिन्दु में भी अस्पष्ट रूप से खाता संख्या 465 व 20 की भूमि को पैतृक सम्पति होना मानते हुये गलत रूप से रेस्पोडेन्टस की अपूरणीय क्षति होना माना तथा उक्त अनुसार प्रथम दृष्टया मामला रेस्पोडेन्टस के पक्ष में गलत रूप से मानते हुये सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी गलत रूप से रेस्पोडेन्ट के पक्ष में माना जबकि न्याय की यह सुस्थापित व्यवस्था है कि जहां जमीन शामलाती को–टीनेन्सी की है तो एक को–टीनेन्ट के विरूद्ध स्टे आदेश जारी नहीं किया जा सकता। भूमि खाता संख्या 20 की जमाबन्दी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह भूमि अपीलान्ट, रेस्पोडेन्टस व प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 25 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा खाता विभाजन नहीं हुआ है। आपसी बाहमी बंटवारा के अनुसार कानून से खाता विभाजन होना नहीं माना जा सकता परन्तु विचारण न्यायालय ने कानून के इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर भी बिना कोई गौर किये खसरा नम्बर 414 रकबा 0.32 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 466 रकबा 0.30 हैक्टेयर के बाबत रेस्पोडेन्ट के हक में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में भयंकर कानूनी भूल की है। उक्त अनुसार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का जमीन जैर बहस में कोई हक–हिस्सा नहीं है क्योंकि उसके स्व. शिशपाल सिंह का गोद का पुत्र होने बाबत अभी सक्षम अदालत में मामला विचाराधीन है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 तथा प्रतिवादी नम्बर 2 आपस में सगी बहिनें है। इसलिये इनके पिता स्व. शिशुपाल सिंह के जमीन जैर बहस में 1/24 हिस्से में प्रत्येक का 1/48 हिस्सा मात्र है जो 0.1062 हैक्टेयर भूमि के बराबर होता है जो खाता नम्बर 20 की भूमि शामलाती होने से स्पेसिफिकली खसरा नम्बर 414 व 466 की सम्पूर्ण भूमि पर रेस्पोडेन्टस का कब्जा मानते हुये विचारण न्यायालय ने आपना आदेश जैर बहस गलत दिया है जो निरस्त होने योग्य है। खाता नम्बर 465 के बाबत पूर्व में दिनांक 13.12.1999 को विचारण न्यायालय के द्वारा खात

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विभाजन का दावा डिक्री किया जाकर खाता विभाजन कर दिया गया है तथा इस जमीन में रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 की मां स्व. श्रीमती गिनोड़ी देवी का कोई हक–हिस्सा होना नहीं माना गया है। उक्त स्व. श्रीमती गिनोड़ी देवी अथवा उसकी पुत्री रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 ने उक्त बंटवारा की डिक्री के विरूद्ध कभी कोई अपील नहीं की । उक्त निर्णय व डिक्री अंतिम हो चुके है। विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त निर्णय व डिक्री की प्रतिलिपियां प्रस्तुत किये जाने के बावजूद विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई गौर न कर अपना आदेश जैर बहस देने में भंयकर कानूनी भूल की है। जिन खसरा नम्बर 414 तादादी 0.32 हैक्टैयर व खसरा नम्बर 466 तादादी 0.30 हैक्टेयर वाके संजय नगर के बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिया है, उस जमीन पर प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस का कभी कब्जा नहीं रहा व न अब है। इस संबंध में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक एफ.आई.आर नम्बर 359/08 पुलिस थाना खेतड़ी में अ.धारा 143, 447, 379 आई.पी.सी. दिनांक 03.10.2008 को दर्ज करवाई जिसमें पुलिस ने बाद जांच मामला झूठा होना पाया तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का उक्त जमीन पर कोई कब्जा होना नहीं पाया गया। इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 ने दिनांक 04.01.2010 को एक एफ.आई.आर नम्बर 09/10 पुलिस थाना खेतड़ी में अ.धारा 147, 447, 379 आई.पी.सी. दर्ज करवाई जिसमें भी पुलिस थाना खेतड़ी ने बाद तप्तीश रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का मुकदमा झूठा होना बतलाते हुये एक.आर. प्रस्तुत की ।उक्त दोनों मामलों से यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि विवादित भूमि के किसी भाग पर रेस्पोडेन्टस का भौतिक कब्जा नहीं है तथा रिकार्ड व कानून के अनुसार रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 खाता नम्बर 20 की भूमि में से मात्र 0.1062 भूमि की खातेदार होना स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में कब्जा के अभवा में रेस्पोडेन्टस का प्रथम दृष्टया प्रकरण होना कानून से नहीं माना जा सकता तथा प्रथम दृष्टया केस नहीं होने से रेस्पोडेन्ट के पक्ष में सुविधा संतुलन का बिन्दु होने तथा इन्हें अपूरणीय क्षति होने को भी कोई प्रश्न नहीं है। विचारण न्यायालय ने कानूनी व मौके की स्थिति को नजरअन्दाज करते हुये अपना मनमाना आदेश दिया है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जो निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्टस ने अपने प्रार्थना पत्र में खाता संख्या 20 के सभी दर्ज रिकार्ड खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया है जो कानून से आवश्यक है। विचारण न्यायालय ने इस बिन्दु पर भी कोई गौर न कर अपना आदेश जैर बहस देने में भयंकर कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि ग्राम संजयनगर स्थित विवादित भूमि खाता संख्या 465 किता 25 रकबा 4.27 हैक्टेयर व खाता संख्या 20 किता 20 कुल रकबा 5.10 हैक्टेयर भूमि उभयपक्षकारान्न की पैतृक भूमि होना प्रस्तुत दस्तावेजात व उभय पक्षकारान की स्वीकारोक्ति से होती है। खाता संख्या 465 ग्राम संजय नगर की विवादित भूमि संबंधी विचाराधीन पूर्व वाद संख्या 258/93 के निर्णय व दिनांक 13.12.1999 व वाद पत्र के अभिवचनों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि विवादित भूमि पक्षकारान की पुश्तैनी भूमि है। इस वाद में (258/93) शिशुपाल सिंह की पत्नी गिनोड़ी देवी भी पक्षकार प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में थी। यह दिनांक 13.04.1999 को हुये राजीनामा के आधार पर डिक्री हुआ था। प्रार्थी संख्या 1 शिशुपाल सिंह के दत्तक पुत्र के रूप में दावा किया है तथा प्रार्थिया संख्या 2 सूरजकंवर व प्रतिवादिया संख्या 2 मनोज कंवर उर्फ मंगेज कंवर शिशुपाल सिंह की पुत्रियां है। अतः नियमानुसार शिशुपाल सिंह/ गिनोड़ी देवी के हिस्से की भूमि में इनके भी हिस्सा है गिनोड़ी देवी ने प्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में गोदनामा दिनांक 19.09.97 पंजीबद्ध करवा रखा है तथा **'Passession followes title'** के अनुसार कब्जा भी प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 141 व 466 की भूमि पर है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम संजयनगर स्थित विवादित भूमि खाता संख्या 465 किता 25 रकबा 4.27 हैक्टेयर व खाता संख्या 20 किता 20 कुल रकबा 5.10 हैक्टेयर भूमि उभयपक्षकारान की पैतृक भूमि होना प्रस्तुत दस्तावेजात व उभय पक्षकारान की स्वीकारोक्ति से होती है। खाता संख्या 465 ग्राम संजय नगर की विवादित भूमि संबंधी विचाराधीन पूर्व वाद संख्या 258/93 के निर्णय व दिनांक 13.12.1999 व वाद पत्र के अभिवचनों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि विवादित भूमि पक्षकारान की पुश्तैनी भूमि है। इस वाद में (258/93) शिशुपाल सिंह की पत्नी गिनोड़ी देवी भी पक्षकार प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में थी। यह दिनांक 13.04.1999 को हुये राजीनामा के आधार पर डिक्री हुआ था। प्रार्थी संख्या 1 शिशुपाल सिंह के दत्तक पुत्र के रूप में दावा किया है तथा प्रार्थिया संख्या 2 सूरजकंवर व प्रतिवादिया संख्या 2 मनोज कंवर उर्फ मंगेज कंवर शिशुपाल सिंह की पुत्रियां है। अतः नियमानुसार शिशुपाल सिंह/ गिनोड़ी देवी के हिस्से की भूमि में इनके भी हिस्सा है गिनोड़ी देवी ने प्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में गोदनामा दिनांक 19.09.97 पंजीबद्ध करवा रखा है तथा **'Passession followes title'** के अनुसार कब्जा भी प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 141 व 466 की भूमि पर है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 3.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोलक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)